F.No. CD-11012/01/2022-Coord.

Government of India

Ministry of Road Transport & Highways

(Coordination Section)

Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

Dated the 09th March, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of February, 2022.

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of February, 2022 is enclosed herewith for information.

Prashant Kumar

(Prashant Kumar)
Section Officer (Coordination & W&A)

Encl. As above

To,

1. All members of the Council of the Ministers
2. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Cabinet Secretary , Rashtrapati Bhavanm New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Information Officer, PIB , Shastri Bhavan, New Delhi

Ministry of Road Transport and Highways

Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of February, 2022.

1. **Award and Construction of National Highways:** The Ministry has constructed 8,045 Km of National Highways up to February in 2021-22 as compared to 11,143 km constructed up to February in 2020-21. The award figure is 7,618 km during this period as compared to 8,512 Km in the previous year.
2. **Vehicle Location Tracking Device for vehicle carrying any dangerous or hazardous goods:** It was noticed that vehicles, which are not under the ambit of national permit, and carrying various gases viz Argon, Nitrogen, Oxygen etc. and goods of dangerous or hazardous nature, are not mandated for Vehicle Location Tracking Device. Accordingly, the Ministry vide draft notification dated 15th February, 2022 has proposed that every goods carriage vehicle, carrying any dangerous or hazardous goods, shall be equipped with or fitted with a vehicle location tracking device, as per Automotive Industry Standard(AIS) 140. Comments and suggestions have been invited from stakeholders within a period of thirty days.
3. **Implementation of Section 44 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019:** This Ministry, vide Notification dated 15th February, 2022, has notified the implementation of Section 44 of the Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019. It relates to wearing of protective headgear. It mandates that every person, above four years of age, driving or riding or being carried on a motorcycle of any class or description shall, while in a public place, will wear protective headgear conforming to such standards, as may be prescribed by the Central Government.
4. **Safety measures for children below four years of age riding or being carried on a motor cycle:** This Ministry, vide notification dated 15th February, 2022, has amended rule 138 of Central Motor Vehicle Rules, 1989 and has prescribed norms related to safety measures for children below four years of age riding or being carried on a motor cycle. Further, it specifies use of a safety harness and crash helmet. It also restricts speed of such motor cycles to 40 kmph. These

rules will come into force after one year from the date of publication of the Central Motor Vehicles (Second Amendment) Rules, 2022 i.e. from 15 February 2023.

5. **Type approval of Cash Van:** This Ministry vide notification dated 23rd February, 2022, has issued the rule regarding type approval of Cash Van, a Special Purpose Vehicle(SPV), and its compliance with the respective Automotive Industry Standard(AIS). It has been prescribed that Cash Vans shall comply with the requirements stated in AIS-163:2020, as amended from time to time, till the corresponding BIS specifications are notified under the Bureau of Indian Standards Act, 2016(11 of 2016).

6. **Triple deck to transport two wheelers:** It was brought to the notice of the Ministry that the plying of vehicles more than two decks was not permitted by CMVR 1989. It was submitted that three decks are safe and will enable them to carry more number of motor vehicles within the permissible gross vehicle weight. Accordingly, this Ministry vide notification dated 25th February 2022 has amended Rule 93 of the Central Motor Vehicle Rules 1989, and allowed rigid vehicles as well as trailers to have maximum of three decks to transport two wheelers, with the load body not projecting over the driver's cabin . It will improve logistics efficiency.

7. **Compensation to Victims of Hit and Run Motor Accidents Scheme:** This Ministry has notified a new scheme for compensation of victims of Hit & Run motor accidents vide notification dated 25th February, 2022 to cater to enhanced compensation (from Rs 12,500/- to Rs 50,000/- for grievous hurt and from Rs 25,000/- to Rs 2,00,000/- for death).The process of application for compensation and the release of payment to victims has also been made time bound . This scheme will supersede the Solatium Scheme, 1989 from 01st April, 2022 onwards.

8. **Detailed Accident Report (DAR):** This Ministry has issued notification dated 25th Feb. 2022 to mandate the procedure for detailed investigation of road accidents, the **Detailed Accident Report (DAR)** and its reporting, along with

timelines for different stakeholders, for quick settlements of claims by the Motor Accident Claim Tribunal (MACT). Further, it has mandated incorporation of validated mobile number in the Certificate of Insurance.

9. **Motor Vehicle Accident Fund Rules:** Ministry has published rules on 25.2.2022 regarding creation, operation, sources of fund etc. of the Motor Vehicles Accident Fund. This fund shall be used for providing compensation in case of Hit & Run Accident, treatment for accident victims and any other purpose, as may be specified by the Central Government.

10. **Laying Foundation Stone and Inauguration of National Highway Projects**: Shri Nitin Gadkari, Hon'ble Minister for Road Transport & Highways inaugurated and laid foundation stone for 51 National Highways projects of Rs.21,559/- crore in Andhra Pradesh, 46 NHs of Rs.19,930/- crore in Karnataka and laid foundation stone for 11 National Highways projects of Rs.5722/- crore in Madhya Pradesh during the month. These proposed NH projects would provide easy transport facility to the pilgrims and tourists, decrease traffic jams and fuel consumption, create employment opportunities and play a pivotal role in bringing prosperity to the people of these States.

11. **Reinstatement of Provision of Earnest Money Deposit (EMD) in bids for highway projects:** On the expiry of applicability of Department of Expenditure's OM No. 9/4/2020-PPD dated 12.11.2020 regarding bid security on 31.12.2021, provisions of Rule 170 of GFR, 2017 which existed before issue of aforesaid Department of Expenditure OM, have been reinstated allowing provision of bid security or bid security declaration for all modes of road construction under PPP including EPC.

12. **Compensation through Bhoomi Rashi Portal:** The Ministry has issued a total of 189 Land Acquisition Notifications and processed Land compensation for an amount of Rs.81,62,74,077.88 through BhoomiRashi-PFMS Portal, during the month on February, 2022.

13. **<u>India-Japan Joint Working Group (JWG) Meeting:</u>** The 7th meeting of the JWG under the Framework of Cooperation (FoC) between India and Japan on Roads and Road Transport sector was held on 25th February, 2022 in hybrid mode. Both the countries exchanged views on construction techniques & experience and challenges related to slope protection with reference to Highway projects.

14. **<u>Standing Finance Committee (SFC) meetings</u>:** In the month of February, 2022, 37 projects of length 1531.29 km and total capital cost of Rs. 37261.89 Cr. were appraised by SFC and recommended for approval.

*****

<u>सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय</u>

विषयः मंत्रिमंडल के लिए फरवरी, 2022 माह का मासिक सारांश।

1. **<u>राष्ट्रीय राजमार्गों का सौंपना और निर्माण</u> :** मंत्रालय ने 2021-22 में फरवरी तक 8,045 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है, जबकि 2020-21 में फरवरी तक 11,143 किलोमीटर का निर्माण किया गया था। पिछले वर्ष के 8,512 किलोमीटर की तुलना में इस अवधि के दौरान सौंपने का आंकड़ा 7,618 किमी है।

2. **<u>किसी भी खतरनाक या जोखिम वाला सामान को ले जाने वाले वाहन के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस</u> :** यह देखा गया कि वाहन, जो राष्ट्रीय परमिट के दायरे में नहीं हैं और विभिन्न गैसों जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आदि और खतरनाक या जोखिम वाली प्रकृति के सामान ले जाने वाले वाहन, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के लिए आज्ञापित नहीं है। तदनुसार, मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की मसौदा अधिसूचना द्वारा प्रस्ताव दिया है कि किसी भी खतरनाक या जोखिम वाले सामान को ले जाने वाले प्रत्येक मालवाहक वाहन को ऑटोमोटिव उद्योग मानक (एआईएस) 140 के अनुसार व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस या फिट किया जाएगा। तीस दिनों की अवधि के भीतर हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं ।

3. **<u>मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 44 का कार्यान्वयन</u> :** इस मंत्रालय ने दिनांक 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 44 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है। यह सुरक्षात्मक हेडगियर पहनने से संबंधित है। यह आज्ञापित करता है कि सार्वजनिक स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति, चार वर्ष से ऊपर, किसी भी श्रेणी या विवरण की मोटरसाइकिल चला या सवारी कर रहा है या उस पर ले जाया जा रहा है, तो वह ऐसे

मानकों, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के अनुरूप सुरक्षात्मक हेडगियर पहनेंगे।

4. **<u>मोटर साइकिल पर सवार या ले जाए जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपाय:</u>** इस मंत्रालय ने 15 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया है और मोटर साइकिल पर सवार या ले जाए जा रहे चार साल से कम उम्र के बच्चों के सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, यह सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग को विनिर्दिष्ट करता है। यह ऐसी मोटर साइकिलों की गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित करता है। ये नियम केंद्रीय मोटर यान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2022 के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष पश चात् अर्थात् 15 फरवरी 2023 से लागू होंगे।

5. **<u>कैश वैन का टाइप अनुमोदन:</u>** इस मंत्रालय ने 23 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से कैश वैन, एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के टाइप अनुमोदन और संबंधित मोटर वाहन उद्योग मानक (एआईएस) के अनुपालन के संबंध में नियम जारी किया है। यह निर्धारित किया गया है कि कैश वैन, जब तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) के तहत संबंधित बीआईएस विनिर्देशों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, तब तक समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस-163: 2020 में बताई गई आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

6. **<u>दो पहिया वाहनों के परिवहन के लिए ट्रिपल डेक:</u>** इस मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था कि सीएमवीआर 1989 द्वारा दो डेक से अधिक वाहनों के चलने की अनुमति नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि तीन डेक सुरक्षित हैं और यह अनुमत सकल वाहन भार के भीतर अधिक संख्या में मोटर वाहन ले जाने में उन् हें सक्षम बनाएगा। तदनुसार, इस मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 93 में संशोधन किया है और रीजिड वाहनों के साथ-साथ ट्रेलरों को दो पहिया वाहनों के परिवहन के लिए अधिकतम तीन

डेक रखने की अनुमति दी है, जिसमें लोड बॉडी चालक के केबिन के ऊपर नहीं है। इससे लॉजिस्टिक स दक्षता में सुधार होगा।

7. **<u>हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा योजना</u> :** इस मंत्रालय ने 25 फरवरी, 2022 की अधिसूचना के माध्यम से हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है, ताकि बढ़े हुए मुआवजे (गंभीर रूप से घायल के लिए 12,500 / - रुपये से बढ़ाकर 50,000 / रुपये तक और मृत्यु के लिए 25,000/- रु. से बढाकर 2,00,000 /- रु . तक) दिए जा सके। मुआवजे के लिए आवेदन और पीड़ितों को भुगतान जारी करने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध कर दिया गया है। यह योजना 01 अप्रैल, 2022 से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का अधिक्रमण करेगी।

8. **<u>विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर):</u>** इस मंत्रालय ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) द्वारा दावों के त्वरित निपटान के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए समय -सीमा के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच, **विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर)** और इसकी रिपोर्टिंग की प्रक्रिया को अनिवार्य करने के लिए दिनांक 25 फरवरी, 2022 को अधिसूचना जारी की है। इसके अलावा, इसने बीमा प्रमाणपत्र में मान्य मोबाइल नंबर को शामिल करना अनिवार्य कर दिया है।

9. **<u>मोटर वाहन दुर्घटना निधि नियम</u> :** मंत्रालय ने मोटर वाहन दुर्घटना निधि के सृजन, संचालन, निधि के स्रोत आदि के संबंध में दिनांक 25.2.2022 को नियम प्रकाशित किए हैं। इस निधि का उपयोग हिट एंड रन दुर्घटना के मामले में मुआवजा प्रदान करने, दुर्घटना पीड़ितों के उपचार और किसी अन्य उद्देश्य, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, के लिए किया जाएगा।

10. **<u>राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन</u>** : श्री नितिन गडकरी, माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने इस माह के दौरान आंध्र प्रदेश में 21,559 करोड़ रुपये की 51 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं, कर्नाटक में 19,930 करोड़ रुपये की 46 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और मध्य प्रदेश में 5722/- करोड़ रुपये की 11

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये प्रस्तावित रारा परियोजनाएं तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को आसान परिवहन सुविधा प्रदान करेंगी, ट्रैफिक जाम और ईंधन की खपत को कम करेंगी, रोजगार के अवसर पैदा करेंगी और इन राज्यों के लोगों को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

11. **राजमार्ग परियोजनाओं के लिए बोलियों में बयाना जमा राशि (ईएमडी) के प्रावधान की बहाली :** 31.12.2021 की बोली सुरक्षा के संबंध में व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/4/2020-पीपीडी, दिनांक 12.11.2020 की प्रयोज्यता की समाप्ति पर जीएफआर, 2017 के 170 नियम के प्रावधान, जो उक्त व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन के जारी होने से पहले मौजूद थे, को ईपीसी सहित पीपीपी के तहत सड़क निर्माण के सभी तरीकों के लिए बोली सुरक्षा या बोली सुरक्षा घोषणा के प्रावधान की अनुमति देते हुए बहाल कर दिया गया है।

12. **भूमि राशि पोर्टल के माध्यम से मुआवजा:** मंत्रालय ने फरवरी, 2022 महीने के दौरान भूमिराशी-पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से कुल 189 भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाएं जारी की हैं और 81,62,74,077.88 रुपये की राशि का भूमि मुआवजा संसाधित किया है।

13. **भारत-जापान संयुक्त कार्य समूह (जेडब ल यूजी) की बैठक:** सड़क और सड़क परिवहन क्षेत्र पर भारत और जापान के बीच सहयोग की रूपरेखा (एफओसी) के तहत जेडब्ल्यूजी की 7वीं बैठक 25 फरवरी, 2022 को हाइब्रिड मोड में आयोजित की गई थी। दोनों देशों ने राजमार्ग परियोजनाओं के संदर्भ में निर्माण तकनीकों और अनुभव तथा ढलान संरक्षण से संबंधित चुनौतियों पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

14. **स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकें :** एसएफसी द्वारा फरवरी, 2022 के महीने में 1531.29 किमी लंबाई की और 37261.89 करोड़ रु. की कुल पूंजीगत लागत की 37 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था और अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई थी।

*****